



पत्रांक 3062/वि०न०वि०म०-प्रथम/गा०बाद

दिनांक 26/02/24

विषय:-विज्ञापन प्रकाशित करने हेतु आदेश।

सेवा में,

विज्ञापन व्यवस्थापक
राष्ट्रीय सहारा, नई दिल्ली।

विज्ञापन व्यवस्थापक
दैनिक हिन्ट, गाजियाबाद।

महोदय,

आपके प्रतिष्ठित दैनिक/साप्ताहिक समाचार पत्र के एक अंक में आपके यह उपलब्ध छोटे से छोटे टाइप और कम से कम स्थान में दो कॉलम साइज में दिनांक 27.02.2024 तक को प्रकाशनार्थ संलग्न विज्ञापन प्रेषित किया जा रहा है। हैडिंग व नीचे के नाम व पते में भी बड़ा टाइप न लगायें तथा नाम व पता एक ही लाइन में छांपें। विज्ञापन में शीर्ष पर पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि० का मोनोग्राम एवं सबसे नीचे इस आदेश की संख्या व दिनांक भी छोटे से छोटे टाइप में अवश्य प्रकाशित करें। इस निर्देशों के विपरीत छपे विज्ञापनों के बीजकों में आवश्यक कटौती करने के लिए पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि० बाध्य होगा।

1. स्थानीय प्रकृति की सूचना जैसे-बिजली बंद रहने की सूचना, उपभोक्ता शिविर लगने की सूचना, बिजली बिलों के सम्बन्ध में सूचना आदि का प्रकाशन यथा सम्भव समाचार पत्र के स्थानीय पृष्ठ पर तथा ई-निविदा सूचनाओं का प्रकाशन ई-निविदा हेतु निर्धारित पृष्ठ पर करने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
2. प्रकाशन के बाद विज्ञापन आदेश की प्रथम मूल प्रति प्रकाशन हेतु प्रेषित सामग्री की मूल प्रति के साथ विज्ञापन शुल्क की बीजक तीन प्रतियों में अग्रिम भुगतान प्राप्त रसीद टिकट सहित प्रकाशित विज्ञापन की सम्पूर्ण वाउचर प्रतियां संलग्न करते हुए भुगतान हेतु प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, विक्टोरिया पार्क, मेरठ को प्रेषित करें। विज्ञापन आदेश की प्रथम मूल प्रति के स्थान पर फोटो प्रति प्रेषित करने पर सत्यापन भुगतान सम्भव न होगा।
3. संलग्न हिन्दी/अंग्रेजी विज्ञापन का प्रकाशन हिन्दी भाषा में 8-10 प्वाइंट टाइप में एक ही कॉलम में किया जाये। अंग्रेजी भाषा सामग्री का प्रकाशन हिन्दी भाषा में अनुवाद के पश्चात ही करें जिसके लिए समाचार पत्र को कोई अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा।
4. विज्ञापन प्रकाशित होते ही विलम्बतः एक सप्ताह के अन्दर विज्ञापन की एक कटिंग अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचनार्थ अवश्य भेज दी जाये अन्यथा सम्बन्धित बीजक का सत्यापन भुगतान नहीं किया जायेगा।
5. टेन्डर/सूचना इत्यादि यदि आपको सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उ०प्र० तथा विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय भारत सरकार द्वारा विज्ञापन देय स्वीकृत न हो तो कृपया विज्ञापन प्रकाशित न करें। अधोहस्ताक्षरकर्ता को अविलम्ब इस आशय से सूचना देने का कष्ट करें। विज्ञापन के अन्त में सबसे नीचे छोटे टाइप में "राष्ट्र हित में बिजली बचायें" का नारा तथा विद्युत चोरी का हेल्प लाइन नम्बर अवश्य दें।

संलग्नक:-विज्ञापन सामग्री

भवदीय

Superintending Engineer
(महफूज आलम)
Electricity Urban Distribution Circle-I
अधीक्षण अभियन्ता
Gaaziabad

पत्रांक 3062/वि०न०वि०मण्डल-प्रथम/गा०बाद

दिनांक:- 26/02/24

प्रतिलिपि निम्न को विज्ञापन सामग्री सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-


1. प्रबन्ध निदेशक, प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ को इस अनुरोध के साथ कि उक्त निविदा को निगम की वेबसाइट पर डलवाने की कृपा करें।
2. मुख्य अभियन्ता(वि०), गाजियाबाद क्षेत्र-प्रथम, गाजियाबाद।
3. सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ। (ई-मेल:-propvvnlmrt@gmail.com)
4. सम्बन्धित निविदा पत्रावली।

Superintending Engineer
(महफूज आलम)
Electricity Urban Distribution Circle-I
अधीक्षण अभियन्ता
Gaaziabad



पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि० अल्पकालीन ई-निविदा सूचना

ई-निविदा संख्या:-74/2023-24/EUDC-1GZB धरोहर राशि रू०-96000.00 वि०न०वि०ख०-1, गा०बाद में P.A.Y. के अन्तर्गत GDA द्वारा 856 नग नवनिर्मित EWS भवनों हेतु विद्युतीकरण कार्य। 75/2023-24/EUDC-1GZB धरोहर राशि रू०-173500.00 वि०न०वि०ख०-5, गा०बाद में P.A.Y. के अन्तर्गत GDA द्वारा 1200 नग नवनिर्मित EWS भवनों हेतु विद्युतीकरण कार्य। 76/2023-24/EUDC-1GZB धरोहर राशि रू०-26500.00 वि०न०वि०ख०-3, गा०बाद में डी०आर० एम० नादर्न रेलवे, गा०बाद के भार वृद्धि सम्बन्धी कार्य। ये निविदायें दिनांक 13.03.2024 को दोपहर 12:00 बजे तक भरी जा सकती है एवं उसी दिन 17:00 बजे व उसके पश्चात खोली जायेंगी। अर्हता सम्बन्धी विस्तृत सूचना, तिथि, धरोहर राशि, संशोधन/विस्तार तिथि आदि <https://etender.up.nic.in> एवं निगम की वेबसाईट www.pvvn.org पर देखा जा सकता है।


अधीक्षक अभियन्ता
विद्युत नगरीय वितरण मण्डल - प्रथम मंडल, ग्हाज़ियाबाद
Superintending Engineer
Electricity Urban Distribution Circle
Ghaziabad

“राष्ट्रहित में बिजली बचाये”

दूरभाष : 0121-2665734
फैक्स : 0121-2668082
सिन-U31200UP2003SGC027458



कार्यालय
मुख्य अभियन्ता (वितरण)

कार्यालय
प्रबन्ध निदेशक
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0
ऊर्जा भवन, विक्टोरिया पार्क, मेरठ

पत्रांक- प0वि0वि0नि0लि0/तक0/प्र.अनु.-5(नो)/(20) दिनांक :
कार्यालय ज्ञाप

मुख्य अभियन्ता (वितरण), गाजियाबाद क्षेत्र-प्रथम, गाजियाबाद के पत्रांक 477/मु0अ0गा0क्ष0/गा0बाद/सी0/अनु0 दिनांक 12.02.2024 द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-तृतीय, गाजियाबाद के कार्यक्षेत्र में डी0आर0एम0 नार्दन रेलवे गाजियाबाद एकाउण्ट आई0डी0-2025456000 के स्वीकृत भार 471 केवीए को बढ़ाकर 1453.47 कि0वा0 करने हेतु लाईन निर्माण सम्बन्धी समस्त कार्य ई-निविदा द्वारा पूर्ण जमा योजना मद में बाह्य एजेन्सी के माध्यम से कराये जाने हेतु धनराशि रु0 26.50 लाख एवं जी0एस0टी0 अतिरिक्त की प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमति प्रबन्ध निदेशक महोदय, प0वि0वि0नि0लि0, मेरठ द्वारा निम्नानुसार अधोलिखित शर्तों पर प्रदान की गयी है:-

1. उक्त कार्य हेतु धनराशि का प्राविधान पूर्ण जमा योजना मद में उपभोक्ता द्वारा जमा कराया गयी धनराशि से किया जायेगा। पूर्ण धनराशि जमा कराये जाने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता (वितरण) का होगा।
2. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पूर्ण जमा योजना के अन्तर्गत कार्य कराये जाने हेतु व्यय की जाने वाली अधिकतम धनराशि (जीएसटी सहित) प्राक्कलन में प्रावधानित स्थानीय अंश से अधिक न हो।
3. उक्त कार्य ई-निविदा के माध्यम से ही कराया जायेगा।
4. कार्योत्तर प्राक्कलन सक्षम स्तर से स्वीकृति के उपरान्त ही भुगतान सम्बन्धी कार्यवाही की जायेगी।
5. 11 के0वी0 अथवा 33 केवी लाईन शिफ्टिंग का कार्य में तकनीकी/प्रशासनिक स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ही कराया जायेगा।
6. उ0प्र0 पावर कारपोरेशन के आदेश संख्या 10-कार्य/चौदह-पा0का0लि0/2019-3-के/2000 दिनांक 02.01.2019 द्वारा प्रदत्त प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकारों के अन्तर्गत उपरोक्त कार्य कराया जायेगा।
7. इस सम्बन्ध में निगम द्वारा समय-समय पर निर्गत प्रशासनिक एवं वित्तीय नियमों का पालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
8. इस कार्य को रैफो द्वारा निर्धारित विशिष्टीकरण, मानकों एवं दरों के अनुरूप ही कराया जायेगा तथा कार्य का विश्लेषण करके कम से कम लागत में कराया जायेगा।
9. दरों की औचित्यता सक्षम कार्य समिति द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
10. उक्त कार्य एवं दरों की जिम्मेदारी अधीक्षण अभियन्ता (वि0) की होगी।
11. कार्य कराये जाने पूर्व प्राक्कलन की वांछित सम्पूर्ण धनराशि (जी0एस0टी0 सहित) जमा कराये जाने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता (वितरण) का होगा।
12. सम्बन्धित अवर अभियन्ता के द्वारा उपरोक्त कार्य का कार्योत्तर प्राक्कलन बनाया जाएगा एवं तदनुसार मासिक लेखा में आवश्यक प्रविष्टियां अंकित की जाएगी। इस प्रकार जमा योजना के कार्य में लगाई गई समस्त निगम के assets में सम्मिलित की जायेगी।
13. उ0प्र0 पावर कारपोरेशन के पत्रांक 4512 चौदह/पाकालि/2017-2000-टी-सी0-2017 दिनांक 27.11.2017 के अनुसार डिपोजिट के कार्यों के प्राक्कलन की स्वीकृति से पूर्व उसकी तकनीकी रूप से सम्भव होने की स्वीकृति अगले उच्च अधिकारी से प्राप्त करना अनिवार्य है।
14. विद्युत प्रदाय संहिता 2005 में निहित प्राविधानों एवं उ0प्र0पा0का0लि0 लखनऊ के दिशा निर्देशों तथा समय-समय पर उनके संशोधन का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
15. प्राक्कलन उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ के दिशा निर्देश संख्या 15/उ0गा0प्र0 (टैक्स)/जी0एस0टी0 सेल/2019 दिनांक 09.04.2019 के अनुरूप सुनिश्चित किया जायेगा।
16. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ के आदेश सं0 1033-कार्य/चौदह-पाकालि/2020-138-के/2011 दिनांक 24.08.2020 के द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करे।

(मनोज कुमार जैन)

अधीक्षण अभियन्ता (तक0)

पत्रांक : 37/8 /प0वि0वि0नि0लि0/तक0/प्र.अनु.-5(नो)/(20) तददिनांक: 27/02/2024
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक (वित्), प0वि0वि0नि0लि0, मेरठ।
2. मुख्य अभियन्ता (वितरण), गाजियाबाद क्षेत्र-प्रथम, गाजियाबाद।
3. अधीक्षण अभियन्ता-प्रथम (सा0प्र0), प0वि0वि0नि0लि0, मेरठ को स्वीकृत प्राक्कलन की छायाप्रति रॉलमन कर इस आशय से प्रेषित कि उक्त कार्य के लिये केन्द्रीयकृत सामग्री की व्यवस्था करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करे।
4. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत मण्डल मण्डल, मेरठ को स्वीकृत प्राक्कलन की छायाप्रति रॉलमन कर इस आशय से प्रेषित सामग्री प्रबन्धन अनुभाग से समन्वय स्थापित कर सामग्री की व्यवस्था करने का कष्ट करे।
5. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण मण्डल-प्रथम, गाजियाबाद।
6. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-तृतीय, गाजियाबाद।

(मनोज कुमार जैन)

अधीक्षण अभियन्ता (तक0)

सीसी:- निदेशक (तक0) महोदय, प0वि0वि0नि0लि0, मेरठ को सादर अवलोकनार्थ।

टिप्पणी एवं आदेशमुख्य अभियन्ता (वि०), गा०बाद क्षेत्र—प्रथम, गाजियाबाद।

महोदय,

कृपया सादर संज्ञान में लाना है कि अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड—तृतीय, गा०बाद ने अपने पत्र संख्या-3680 दिनांक 06.02.2024 (छायाप्रति संलग्न) के माध्यम से अवगत कराया है कि खण्ड कार्यक्षेत्र में डी०आर०एम० नार्दन रेलवे गाजियाबाद एकाउण्ट आई०डी०-2025456000 के स्वीकृत भार 471 केवीए० को बढ़ाकर 1453.47 कि०वा० करने हेतु लाईन निर्माण सम्बन्धी कार्य पूर्ण जमा योजना मद में बाहय एजेन्सी के माध्यम से कराया जाना प्रस्तावित है।

अतः उपरोक्त कार्य की महत्वता को देखते हुए आपसे अनुरोध है कि प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमति की प्रत्याशा में उक्त कार्य बाहय एजेन्सी के माध्यम से कराये जाने हेतु अल्पकालीन ई-निविदा प्रकाशित करने हेतु अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। उक्त कार्य में अनुमानित व्यय लगभग रू०-26.50 लाख जी०एस०टी० अतिरिक्त आने का अनुमान है।

अध्यक्षालीन डी निविदा

योजना हेतु

अनुमोदित



Superintending Engineer
(महफज आलम)
Electricity Urban Distribution Circle-I
अधीक्षक अभियन्ता
Ghaziabad